10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2666

1. बबलू पिता स्व. वीर सिंह केवट
2. रामखिलावन उर्फ खेल्लू पिता स्व. वीर सिंह
3. हरीदीन पिता अमाली केवट
निवासीगण ग्राम लतार तह. व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. अयोध्या पुत्र मोहन केवट
2. सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र पूरनराम ब्रा.
दोनों निवासीगण ग्राम लतार तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
17-8-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर जिला–अनूपपुर द्वारा रा.प्र. कं. 69/अ–74/08–09 में पारित आदेश दिनांक 29.7.17 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ख. नं. 335 का काफी बड़ा रकबा है। आवेदकगण 1 व 2 के पिता वीर सिंह ने ख.नं. 335/2क जुज रकवा 1.18 एकड़ (एक एकड़ अटठारह डि.) भूमि विक्रेता ठाकुरराम एवं सुरेन्द्र प्रसाद से दिनांक 09.10.97 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी क्रय करने के पश्चात बाद भूमि पर केता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III/निगरानी/अनूपपुर/भू0रा0/2017/2666

बबलू आदि विरूद्ध अयोध्या आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–2–2019	आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 69/अ–74/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 29–7–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–4–2019 को अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 25/2/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	